



460/1

दूरभाष 2286709

2286710

नव योजना केंद्र 10 अशोक मार्ग लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 3415 / 05 / 76 / एक / 2014-15
सेवा में,

दिनांक : 07 दिसम्बर 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-रामपुर।

विषय : अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग नाली निर्माण, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत अभिकरण मुख्यालय द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशियों पर रोकी गयी सेन्टेज की धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण जनपद के रामपुर के पत्रांक 586/सेन्टेज चार्ज/2015-16 दिनांक 17 नवम्बर 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों/मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधा की स्थापना योजनान्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष जनपद को प्रेषित की गयी धनराशि में अभिकरण मुख्यालय पर प्रशासनिक मद अन्तर्गत होने वाले व्यय के दृष्टिगत रोकी गयी सेन्टेज की धनराशि को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। जनपद के उपरोक्त पत्र के क्रम में रोकी गयी सेन्टेज की धनराशि जनपद पर संचालित डूडा के निम्न बचत खाते में आन्तरित करा दी गयी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0932000105034436	IFSC Code PUNB0093200	538.591

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	रोकी गयी सेन्टेज की धनराशि का प्रेषण
01	न०पा०प० रामपुर शहर के अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों के विभिन्न 98 स्थलों पर हाईमास्ट लाइट का कार्य।	2.705
02	न०पा०प० रामपुर में 36 गलियों में इण्टरलाकिंग रोड एवं जल निकासी परियोजना।	21.045
03	न०पा०प० रामपुर में 35 गलियों में इण्टरलाकिंग रोड एवं जल निकासी परियोजना।	10.395
04	न०पा०प० रामपुर में 58 गलियों में इण्टरलाकिंग रोड एवं जल निकासी परियोजना।	57.40
05	न०पा०प० रामपुर में 98 गलियों में इण्टरलाकिंग रोड एवं जल निकासी परियोजना।	121.917
06	न०पा०प० रामपुर में 61 गलियों में इण्टरलाकिंग रोड एवं जल निकासी परियोजना।	66.691
07	न०पा०प० रामपुर में 37 गलियों में इण्टरलाकिंग रोड एवं जल निकासी परियोजना।	57.39
08	न०पा०प० रामपुर में 26 एवं 20 कुल 46 गलियों में इण्टरलाकिंग रोड एवं जल निकासी परियोजना।	82.778
10	न०पा०प० शाहाबाद में 05 कार्य एवं न०पा०प० केमरी 04 कार्य कुल 09 गलियों में इण्टरलाकिंग रोड एवं जल निकासी परियोजना।	33.351
11	न०पा०प० स्वार में 04 गलियों में इण्टरलाकिंग रोड एवं जल निकासी परियोजना।	3.172



460/2

दूरभाष - 2286709

2286710

नव धेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ, 220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र०सं०	परियोजना का नाम	रोकी गयी सेन्टेज की धनराशि का प्रेषण
12	न०पा०प० रामपुर में नुमाईश क्षेत्र में शेड्स, वाउण्ड्रीवाल, गेट, ओपन थियेटर एवं दुकानों का निर्माण।	22.343
	योग-अ	479.187
13	उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 03/2015/2700/69-1-14-72 (अ०सं०-37) दिनांक 05.01.2015 के द्वारा स्वीकृत परि० में रोकी गयी सेन्टेज की धनराशि	19.471
14	उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 368/2015/844/69-1-15-21 (अ०सं०-37) दिनांक 31.03.2015 के द्वारा स्वीकृत परि० में रोकी गयी सेन्टेज की धनराशि	44.693
	योग-ब	64.164
	योग-अ+ब	543.351
15	कम संख्या 10 पर स्वीकृत 09 कार्यों में से 01 कार्य न कराये जाने के फलस्वरूप प्रथम किश्त में प्रेषित की गयी धनराशि का समायोजन (-)	4.76
	जनपद को प्रेषित की गयी कुल धनराशि	538.591

कृपया उपरोक्तानुसार रोकी गयी सेन्टेज की धनराशि रू० 543.351 लाख जनपद रामपुर को अवमुक्त की जानी थी, परन्तु शासनादेश संख्या 1069/69-1-2013-24 (बजट)/2013 दिनांक 30 जुलाई 2013 के द्वारा स्वीकृत 09 परियोजनाओं में 01 परियोजना "मोहल्ला फरसान वार्ड नं०-13 में बसीम मेडिकल स्टोर से मुन्ना भाई तथा रोहन की गली में इण्टरलाकिंग कार्य न कराये जाने के दृष्टिगत प्रथम किश्त में अवमुक्त की गयी धनराशि रू० 4.76 लाख जिसे शासन को समर्पित किया जाना है के समायोजनोपरान्त अवशेष धनराशि रू० 538.591 लाख (रू० पांच करोड अडतीस लाख उनसठ हजार एक सौ मात्र) जनपद रामपुर के उक्त सन्दर्भित बचत खाते में आन्तरित करा दी गयी है।

कृपया उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण के पत्रांक 833/76/10/छः/तक/विविध/12-13 दिनांक 02 जून 2015 के द्वारा निर्गत प्रारूप-क एवं प्रारूप ख पर योजनान्तर्गत परियोजनावार अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक